HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 14229/2026
CNR: RJHC010655652026
URN: CW / 25970U / 2026

Richhpal Singh S/o Nathu Singh Ji, Aged About 27 Years, R/o Ward No. 1 Nr. Gosai Medical Village Badsar Tehsil Bidasar Dist. Churu Raj. 331518

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through Secretary Medical Health And Family Welfare Dept. Jaipur Raj.
2. The Director, Medical And Health Services Dept. Jaipur Raj.
3. The Chief Medical And Health Officer, Medical And Health Services Dept. Dist. Churu Raj.
4. The Senior Medical Officer, Community Health Center Medical And Health Services Dept. Chhapar Dist. Churu Raj.
5. The Junior Medical Officer, Community Health Officer Medical And Health Services Dept. Chhapar Dist. Churu Raj.
6. Goranchal Services Pvt. Ltd., D-188 Agrasen Nagar Churu Raj.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Kojaram, Adv.
Mr. Jayesh Chaudhari, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

09/07/2026

वर्ष 2024 में प्लेसमेंट एजेंसी गोरांचल सर्विस प्रा. लि. के साथ अयाची संख्या 1 से 4 विभाग के हुए अनुबंध के तहत प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा फार्मासिस्ट का कार्य करने हेतु याची की सेवाएं अयाची विभाग को उपलब्ध करवायी गयी थी तथा वर्ष 2025 में विभाग का अन्य सेवा प्रदात्ता कम्पनी सोशियल वेलफेयर एज्युकेशनल एग्रीकल्चरण टेक्नालॉजिकल (स्वेट) सोसायटी, सुजानगढ के साथ अनुबंध होने पर याची की सेवायें एक वर्ष की अवधि के लिए अयाची विभाग को उपलब्ध करवायी गयी। अब अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि अयाची विभाग द्वारा आदेश दिनांक 03.06.2026 की पालना में नवीन संविदाकर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है जबकि पूर्व में कार्यरत संविदाकर्मी को प्राथमिकता दिये जाने का आदेश है। उनका यह भी निवेदन है कि याची की सेवायें अयाची विभाग में निरन्तर रखी जाकर संविदात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पारित निम्न न्यायिक निर्णय पेश किये :–

1. डी बी स्पेशल अपील रिट नंबर 785/2018 स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य बनाम पंकज कुमार उपाध्याय में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018.

2. एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 953/2017 पंकज कुमार उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.03.2017

3. एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 5508/2011 अनिल कुमार पटवा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2011.

4. एस बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 7681/2017 तरूण प्रकाश दायमा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.07.2017

उपरोक्त चारों ही निर्णयों में याचिकाकर्ताओं की सेवायें निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अनुबंध की पालना में विभाग को उपलब्ध करवायी गयी हो, ऐसी स्थिति नहीं है। जहां तक विभाग में कार्यरत संविदाकर्मी को प्राथमिकता दिये जाने का प्रश्न है, याची पूर्व में कभी भी अयाची विभाग का संविदाकर्मी नहीं रहा है, अपितु दो वर्ष की अवधि में अलग अलग प्लेसमेंट एंजेसियों का कर्मचारी रहा है और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ही उसका चयन व नियुक्ति करते हुए अयाची 1 से 4 विभाग को अलग अलग समय पर सेवायें उपलब्ध करवायी गयी है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय तथ्यों में भिन्नता के कारण से हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2018) 17 SCC 641, K.K. Suresh & Anr. V/s. Food Corporation of India & Ors. के मामले में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि जहां याची की सेवाएं संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करवाई गई है तो ऐसी स्थिति में याची व विभाग के बीच क्रमशः कर्मचारी अथवा नियोक्ता के संबंध स्थापित नहीं होते है और ऐसी स्थिति में याची संबंधित विभाग में निरंतर रूप से सेवाएं दिये जाने के संबंध में कोई आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, उपरोक्त निर्णय का पैरा संख्या 07 सुसंगत है जो निम्नानुसार हैः–

> "7. In the first place, the appellants failed to adduce any evidence to prove existence of any relationship between them and the FCI; Second, when the documents on record showed that the appellants were appointed by the FCI Head Load Workers Co-Operative Society but not by the FCI then obviously the remedy of the appellants, if at all, in relation to their any service dispute was against the said Society being their employer but not against the FCI; Third, the FCI was able to prove with the aid of evidence that the appellants were in the employment of the said Society whereas the appellants were not able to prove with the aid of any documents that they were appointed by the FCI and how and on what basis they claimed to be in the employment of the FCI except to make an averment in the writ petitions in that behalf. It was, in our opinion, not sufficient to grant any relief to the appellants."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि अयाची राजकीय विभाग तथा याची के बीच क्रमशः नियोक्ता व कर्मचारी के संबंध नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अयाची विभाग, याची की सेवाएं निरंतर रूप से लेंवे, इस प्रकार का कोई अनुतोष याची प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

परिणामतः यह याचिका खारिज की जाती है। स्थगन आवेदन भी इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

79/Murari Lal Sharrma